**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 2050

उत्‍तर देने की तारीख : 28 जुलाई, 2014

**सहायक अध्यापकों की प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के रूप में प्रोन्नति**

**2050. श्रीमती गुन्डु सुधारानीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सहायक अध्यापकों (नर्सरी) की प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के पद पर पदोन्नति से संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव अपनी आपत्तियों के साथ लौटा दिया और यदि हां, तो कब और उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उन आपत्तियों को दूर कर लिया गया है और प्रस्ताव को पुनः संघ लोक सेवा आयोग को उनकी सहमति के लिए भेज दिया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और इसे कब तक संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार ने सूचित किया है कि उन्‍होंने टीजीटी के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रस्‍ताव भेजा है ताकि पदोन्‍नति के फीडर ग्रेड में सहायक अध्‍यापक (प्राथमिक/नर्सरी) का पद शामिल किया जा सके। आयोग ने 9 अगस्‍त, 2011 को दो विभिन्‍न संगठनों के पदों को शामिल करने तथा फीडर ग्रेड के पदों में पदोन्‍नति का दोहरा मार्ग उपलब्‍ध कराने के विषय में स्‍पष्‍टीकरण मांगा है। राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार ने यूपीएससी को उत्‍तर नहीं दिया है।

\*\*\*\*\*